| | राजस्थान राज–पत्र<br>विशेषांक | RAJASTHAN GAZETTE<br>*Extraordinary* |
|---|---|---|
| सत्यमेव जयते | साधिकार प्रकाशित | *Published by Authority* |
| | भाद्र 14, गुरुवार, शाके 1935–सितम्बर 5, 2013<br>*Bhadra14 , Thursday, Saka 1935–September 5, 2013* | |

भाग 4 (क)

राजस्थान विधान मंडल के अधिनियम।

**विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग**

**(ग्रुप–2)**

अधिसूचना

**जयपुर, सितम्बर 5, 2013**

**संख्या प. 2 (32) विधि/2/2013.**–राजस्थान राज्य विधान–मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 4 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

## राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2013

**(2013 का अधिनियम संख्यांक 18)**

**[राज्यपाल महोदया की अनुमति दिनांक 4 सितम्बर, 2013 को प्राप्त हुई]**

31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष 2009-2010 की सेवाओं के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उस वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त कतिपय और राशियों के विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

**1. संक्षिप्त नाम.**-इस अधिनियम का नाम राजस्थान विनियोग (सं. 3) अधिनियम, 2013 है।

**2. वित्तीय वर्ष 2009-2010 के लिए राज्य की समेकित निधि में से 35,72,41,069/-रु. का प्राधिकृत किया जाना.**-अनुसूची के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान, संदाय के अनुक्रम में आये विभिन्न प्रभारों का चुकारा करने के लिए राज्य की समेकित निधि में से, उन सेवाओं और उक्त वर्ष के लिए स्वीकृत रकमों के अतिरिक्त संदत्त, अनुसूची के स्तम्भ 2 में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक और कुल मिलाकर मात्र 35,72,41,069/-रु. (पैंतीस करोड़ बहत्तर लाख इकतालीस हजार उनहत्तर रुपये) की कतिपय और राशियों का विनियोजन 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष से संबंधित उक्त सेवाओं के लिए किया जाना एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है।

**अनुसूची**

**(देखिए धारा 2)** **(रुपयों में)**

| सेवाएं और प्रयोजन | अतिरिक्त विनियोग राशि जो निम्नलिखित से अधिक नहीं है। | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | दत्तमत | | प्रभृत्त | | योग |
| | राजस्व | पूँजी | राजस्व | पूँजी | |
| 1 | 2 | | | | |
| **समेकित निधि** | | | | | |
| **अनुदानों के लिए माँगें** | | | | | |
| **माँग संख्या-26** | | | | | |
| **(चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई)** | | | | | |
| 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य<br>2211-परिवार कल्याण<br>3606-सहायता सामग्री तथा उपस्कर | .. | .. | *85,932* | .. | 85,932 |
| **योग** | .. | .. | *85,932* | .. | 85,932 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **माँग संख्या-27** | | | | | | |
| **(पेय जल योजना)** | | | | | | |
| 2215-जलपूर्ति तथा सफाई | | 33,96,11,199 | .. | .. | .. | 33,96,11,199 |
| | **योग** | 33,96,11,199 | .. | .. | .. | 33,96,11,199 |
| **माँग संख्या-28** | | | | | | |
| **(ग्रामीण विकास के विशेष कार्यक्रम)** | | | | | | |
| 2501-ग्राम विकास के विशेष कार्यक्रम<br>2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम<br>2810-अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत | | 1,75,26,568 | .. | .. | .. | 1,75,26,568 |
| | **योग** | 1,75,26,568 | .. | .. | .. | 1,75,26,568 |
| **माँग संख्या-29** | | | | | | |
| **(नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास)** | | | | | | |
| 2217-शहरी विकास | | .. | .. | *15,360* | .. | 15,360 |
| | **योग** | .. | .. | *15,360* | .. | 15,360 |

| 1 | | | 2 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **माँग संख्या-45** | | | | | |
| **(राज्य कर्मचारियों को ऋण)** | | | | | |
| 7610-सरकारी कर्मचारियों आदि को कर्ज | .. | 2,010 | *..* | *..* | 2,010 |
| **योग** | **..** | 2,010 | *..* | *..* | 2,010 |
| **योग-समेकित-निधि** | **35,71,37,767** | **2,010** | ***1,01,292*** | ***..*** | **35,72,41,069** |

प्रकाश गुप्ता,

**प्रमुख शासन सचिव।**

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT**
**(GROUP-II)**
NOTIFICATION
**Jaipur, September 5, 2013**

**No. F. 2 (32) Vidhi/2/2013.**–In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Rajasthan Viniyog (Sankhya 3) Adhiniyam, 2013 (2013 Ka Adhiniyam Sankhyank 18):–

**(Authorised English Translation)**
**THE RAJASTHAN APPROPRIATION (No. 3) ACT, 2013**
**(Act No. 18 of 2013)**

[Received the assent of the Governor on the 4th day of September, 2013]

*An*

*Act*

*to authorise the appropriation of certation further sums from and out of the Consolidated Fund of the State for the services of the financial year 2009-2010 ended on the 31st March, 2010 in excess of the amount granted for those services and for that year.*

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth year of the Republic of India, as follows:-

**1. Short title.**–This Act may be called the Rajasthan Appropration (No. 3) Act, 2013.

**2. Authorisation of Rs. 35,72,41,069/-out of the Consolidated Fund of the State for the financial year 2009-2010.-** Certain further sums not exceeding those specified in Column 2 of the Schedule amounting in the aggregate to the sums of **Rs. 35,72,41,069/-**(Rupees Thirty five crore seventy two lacs fourty one thousand sixty nine) only paid from and out of the Consolidated Fund of the State towards defraying the several charges which come in course of payment during the year ended on the 31st day of March, 2010 in respect of the services specified in Column 1 of the Schedule are hereby authorized to be appropriated for such services in relation to the year ended on the 31st March, 2010 in excess of the amount granted for those services and for the said year.

**THE SCHEDULE**
**(See section 2)**

(In Rupees.)

| Services and Purposes | Excess Appropriation not exceeding to | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Voted | | Charged | | Total |
| | Revenue | Capital | Revenue | Capital | |
| 1 | 2 | | | | |
| **Consolidated Fund** | | | | | |
| **Demands for Grants** | | | | | |
| **Demands No. 26** | | | | | |
| **(Medical, Public Health and Sanitation)** | | | | | |
| 2210-Medical and Public Health<br>2211-Family Welfare<br>3606-Aid Material and Equipment | .. | .. | *85,932* | .. | 85,932 |
| Total | .. | .. | *85,932* | .. | 85,932 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demands No. 27** | | | | | |
| **(Drinking Water Scheme)** | | | | | |
| 2215-Water Supply and Sanitation | | 33,96,11,199 | .. | *..* | *..* 33,96,11,199 |
| | Total | 33,96,11,199 | .. | *..* | *..* 33,96,11,199 |
| **Demands No. 28** | | | | | |
| **(Special Programmes for Rural Development)** | | | | | |
| 2501-Special Programmes for Rural Development<br>2515-Other Rural Development Programmes<br>2810-Non-Conventional Sources of Energy | | 1,75,26,568 | .. | *..* | *..* 1,75,26,568 |
| | | 1,75,26,568 | .. | *..* | *..* 1,75,26,568 |
| **Demands No. 29** | | | | | |
| **(Town Planning and Area Devlopment)** | | | | | |
| 2217-Urban Development | | .. | .. | *15,360* | *..* 15,360 |
| | Total | .. | .. | *15,360* | *..* 15,360 |

| 2 |
|---|
| |

| 1 | 2 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Demands No. 45** | | | | | |
| **(Loans to Government Servants)** | | | | | |
| 7610-Loans to Government Servants etc. | .. | 2,010 | .. | .. | 2,010 |
| **Total** | **..** | 2,010 | .. | .. | 2,010 |
| **Total-Consolidated Fund** | **35,71,37,767** | **2,010** | ***1,01,292*** | **..** | **35,72,41,069** |

प्रकाश गुप्ता,

**Principal Secretary to the Government.**



**Government Central Press, Jaipur.**